फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री शिवराजसिंह | विपक्षी :– श्री गमेरसिंह

रस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 45/19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 25.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प थामला में पेश हुई। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 7 स्वयं उपस्थित। अन्य विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। शेष विपक्षीगण अनुपस्थित हैं। विपक्षी सं. 7 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर सहमत्ति व्यक्त की। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर विवाद होने से पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: <u>आदेश</u> :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला की आराजी नम्बर 2425, 2427, 2428, 2429 भूमि एवं विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2420 से 242[illegible] के मध्य [illegible] की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु [illegible] को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर [illegible] पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में दिनांक 15.12.2021 को पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.03 13:14:46 IST
Reason: SelfAttested